न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्याः 12/2010
दर्ज दिनांकः 08/04/2010
निर्णय दिनांक : 23-1-18

संशोधित शीर्षक

1. कान्ता देवी पुत्री प्रहलाद धर्मपत्नि स्व. घनश्यामदास जाति ब्राहम्ण, निवासीः मकान नंबर 346, चांदी की टकसाल, राजामल का तालाब, जयपुर।
2. सुशीला पुत्री प्रहलाद धर्मपत्नि वैद्य रमेश चन्द जाति ब्राहम्ण, निवासीः जोशी भवन, गणगौरी बाजार, हाई स्कूल के सामने, फुलेरा, जयपुर।
3. मोरध्वज पुत्र प्रहलाद राय जाति ब्राहम्ण, हाल निवासीः प्लॉट नंबर 1–ए, खेतडी हाऊस, पंचमुखी हनुमान की गली, चांदपोल बाजार, जयपुर।

.....वादीगण

बनाम

1. वासुदेव पुत्र प्रहलाद
2. श्रवणलाल पुत्र प्रहलाद
3. गिर्राज पुत्र प्रहलाद
4. बनवारी पुत्र प्रहलाद
5. जगदीश पुत्र प्रहलाद

   समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासीः गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. प्रहलाद पुत्र श्यामलाल जाति ब्राहम्ण, निवासीः गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
7. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
8. नायब तहसीलदार/पंजीयन अधिकारी माधोराजपुरा, उप तहसील माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
9. थार ग्रामीण बैंक शाखा डाबिच तहसील फागी, जिला जयपुर।
10. श्रीमती जडाव देवी धर्मपत्नि स्व. श्री दामोदर प्रसाद शर्मा पुत्री स्व. श्री श्याम लाल जाति ब्राहम्ण निवासीः गोपालपुरा तहसील फागी, हाल निवासीः अग्रसेन नगर, झोटवाडा, जयपुर।

––प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि

विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 159 के खसरा नंबर 148, 155/2, 320 लगायत 323, 329, 407, 553, 557, 558, 577, 579, 637, 638, 641 लगायत 644, 651, 653, 655, 723, 942, 147, 640 कुल किता 26 कुल रकबा 33 बीघा 12 बिस्वा एवं खतौनी संख्या 160 के खसरा नंबर 654 रकबा 6 बिस्वा, खतौनी संख्या 164 के खसरा नंबर 331 रकबा 4 बिस्वा खतौनी संख्या 163 के खसरा नंबर 578 रकबा 7 बिस्वा, खतौनी संख्या 161 के खसरा नंबर 1332/1/1, 1333/1, 1333/2, 1348/2, 1349/2, 1350/1/1, 1351/1/1, 1354/2 कुल किता 8 कुल रकबा 18 बीघा, खतौनी संख्या 162 के खसरा नंबर 261 रकबा 2 बिस्वा, खतौनी संख्या 161 में प्रतिवादी संख्या संख्या 6 का दर्ज हिस्सा 1/2 में से वादीगण 3/9 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का 6/9 हिस्सा एवं खतौनी संख्या 162 में प्रतिवादी संख्या 6 दर्ज हिस्सा 1/4 वादीगण का 3/9 प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का 6/9 हिस्सा वाके ग्राम गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें खतौनी संख्या 159 में वादीगण का 3/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का 6/9 हिस्सा वाके ग्राम गोपालपुरा, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है, जिसमे खतौनी संख्या 159 में वादीगण का 3/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का 6/9 हिस्सा एवं खतौनी संख्या 160 में प्रतिवादी संख्या 6 का दर्ज हिस्सा 1/2 व खतौनी संख्या 164 में प्रतिवादी संख्या 6 का सात आना खतौनी संख्या 163 में प्रतिवादी संख्या 6 का दर्ज हिस्सा पांच आना में वादीगण का 3/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का 6/9 हिस्सा खतौनी संख्या 161 में प्रतिवादी संख्या 6 का दर्ज हिस्सा 1/2 में से वादीगण 3/9 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का 6/9 एवं खतौनी संख्या 162 में प्रतिवादी संख्या 6 दर्ज हिस्सा 1/4 वादीगण का 3/9 प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का 6/9 हिस्सा अर्थात प्रतिवादी संख्या 6 के हिस्से में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का बराबर बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज काश्त है व सरकारी लगान जमा कराते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं हिन्दू परिवार के व्यक्ति है एवं स्व. श्यामलाल के वंश के है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 भाई बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 6 पिता है एवं स्व. श्यामलाल के वंश के है विवादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है एवं हिन्दू मुस्तका परिवार की सम्पत्ति है इसलिये कानूनन विवादग्रस्त आराजी में वादीगण का हिस्सा बनता है एवं पैतृक सम्पत्ति एवं पूर्व सेटलमेन्ट में विवादग्रस्त आराजी श्यामलाल की खातेदारी की होने के कारण कानूनन वादीगण संख्या 1 व 2 स्व. श्यामलाल की पोतीया है एवं प्रार्थी संख्या 3 पोता है एवं प्रतिवादी संख्या 6 की पुत्रीयां पुत्र है इसलिये कानूनन पैतृक सम्पत्ति में पुत्रीयां व प्रार्थीनी का हिस्सा बनता है एवं अपना हिस्सा कानूनन लेने के वादीगण अधिकारी है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 6 के नाम इन्द्राज है एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक हिन्दू परिवार के सदस्य है एवं स्व. श्यामलाल के वंश के है एवं परिवार में आपस में सद्भावना थी एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 6 के नाम इन्द्राज हो गया जबकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से हिस्सेनुसार बांट कर काश्त कर रहे है एवं प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की आराजी में काफी पैसा खर्च करके आराजी को उन्नत व उपज बना ली है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 वादीगण से ईष्या रखते है एवं वादीगण के हिस्से की आराजी को हडपना चाहते है इसलिये प्रतिवादी संख्या 6 को बहला फुसलाकर वादीगण के हिस्से की आराजी को बेचान करने में आमादा है। प्रतिवादी संख्या 6 काफी वृद्व एवं विचारण व्यक्ति है एवं वादीगण के खिलाफ बना रखा है प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 प्रतिवादी संख्या 6 का वृद्व होने व सोचने समझने की बुद्वि का न होने का फायदा उठाकर आराजी का प्रतिवादी संख्या 6 से बेचान व वसीयत आदि कराने पर उतारू है जिससे

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी से वादीगण को बेदखल किया जा सके क्योकि वादीगण से प्रतिवादीगण संख्या 1 लागयत 6 मनमुटाव रखते है एवं आराजी को लेकर आये दिन लडाई झगडा करते है। दिनांक 04/04/2010 को वादीगण अपने हिस्से की आराजी को संभालने गांव गये तब प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 वादीगण से लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये एवं ऐलानिया धमकी दी कि तुम्हारा इस आराजी में कोई हिस्सा नहीं है एवं इसे ऐसे व्यक्ति को बेचान करेगे जो तुम्हे तुम्हारे हिस्से से बेदखल कर देगा इसलिये वादीगण को अपने हितो की रक्षार्थ हेतु कानून की शरण लेनी पडी एवं वादीगण को परम आवश्यक हो गया कि प्रतिवादीगण के खिलाफ दावा इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ, विवादग्रस्त आराजी में कानूनन पुत्र व पुत्री व पोते व पोती का हिस्सा बनता है एवं अपने हिस्से की रक्षार्थ व खुर्द–बुर्द को रोकने हेतु वादीगण को परम आवश्यक हो गया कि प्रतिवादीगण को पाबंद कराया जाये अगर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 प्रतिवादी संख्या 6 को बहला फुसलाकर अपने कार्य में सफल हो गये तो वादीगण को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा एवं व्यर्थ में मुकदमेबाजी बढेगी एवं खर्चे से जेरबार होगे जिसकी क्षतिपूति की जाना असंभव होगा इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वादीगण ने वाद पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण के खिलाफ डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे कि वाद में वर्णित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वात्र में वर्णित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करे एवं आराजी से बेदखल व बेचान नहीं करे, रहन, वेय, मुन्तकिल नहीं करे इस आशय की तहरीर प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 को जारी करने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रार्थी जडाव देवी ने अपने अधिवक्ता के मार्फत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश-1 नियम 10 सी.पी.सी पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 27.15. 2014 को वादी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र को आगे नहीं चलाते हुये इसी स्तर पर विड्रो करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। बाद बहस मनन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 2 व 3 की सीमा तक वाद पत्र विड्रो किया गया। दिनांक 10.06.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री देशबन्धु एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने जवाब प्रस्तुत न कर सीधे बहस करना चाहा। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में अनापत्ति प्रस्तुत की। वकील वादी की अनापत्ति के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वकील वादी को संशोधित वाद प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 16.10.2014 को वकील वादी ने संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबदावा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 28.04.2016 को प्रतिवादी सं. 6 के विरूद्व न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 10.11.2016 को वकील श्री विनय जैन एडवोकेट ने प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 व जवाब दावा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 31.01.2017 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। बाद बहस मनन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। दिनांक 02.02.2017 ने प्रतिवादी संख्या 10 ने जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया, प्रतिवादी संख्या 10 का जवाब बंद किया

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

गया। दिनांक 02.05.2017 को तनकीयात कायम की गई। दिनांक 14.11.2017 को वकील वादी ने साक्ष्य में कान्ता देवी पत्नि प्रहलाद का शपथ पत्र पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। वादीया कान्ता देवी भी जिरह हेतु उपस्थित नहीं हुई अतः दिनांक 09.01.2018 को वकील वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के काफी अवसर दिये जाने के पश्चात साक्ष्य न कराने के कारण साक्ष्य वादी बंद की गयी। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य प्रतिवादी कराने से इंकार किया। साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली वास्ते अंतिम बहस नियत की गई।

वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई है :–

1. आया वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि वादीगण की हिन्दू मुस्तर्का परिवार की पैतृक सम्पत्ति है इसलिये वादीगण को पेरा 1 में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है।...वादीगण

2. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबज काश्त है इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। ..... वादीगण

3. आया प्रतिवादी संख्या 6 पर्चा सेटलमेन्ट से पूर्व ही अलग रहने लग गया था इसलिये वादग्रस्त भूमि का पर्चा प्रतिवादी संख्या 6 के नाम आया है वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 6 की स्वअर्जित सम्पत्ति है इसलिए वादीगण खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है। ...प्रतिवादी सं. 6

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। बाद बहस मनन वाद का निर्णय तनकीवार किया जाना उचित है।

1. आया वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी भूमि वादीगण की हिन्दू मुस्तर्का परिवार की पैतृक सम्पत्ति है इसलिये वादीगण को पेरा 1 में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है।...वादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण का है। वादी ने अपने वाद पत्र में उक्त आराजी को पैतृक सम्पत्ति कहा है लेकिन न तो वादी ने कोई दस्तावेज पेश किये, ना ही वादीया स्वयं जिरह हेतु उपस्थित हुई जबकि प्रतिवादी ने उक्त भूमि को अपनी स्वअर्जित भूमि बताया है। जब वादिया स्वयं परीक्षित नहीं हुई, न ही वादिया के द्वारा किसी भी दस्तावेज को प्रदर्शित करवाया गया तो उक्त भूमि को पैतृक मानने का कोई आधार नहीं है। न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को अपने वाद को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध करना होगा लेकिन वादिया के द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं करने एवं मौखिक साक्ष्य में भी स्वयं के जिरह हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण वादिया उक्त तनकी को सिद्ध करने में पूरी तरह असफल रही है। इस आधार पर उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

2. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबज काश्त है इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। ..... वादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार भी वादिया पर है लेकिन कब्जे के संबंध में वादिया ने कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की, इसके अतिरिक्त तनकी संख्या 1 भी वादिया के विरूद्व हो चुकी है तो स्वभाविक कब्जे की उपधारणा भी नहीं की जा सकती। यदि वादिया

जिरह हेतु उपस्थित होती तो कब्जे के संबंध में मौखिक साक्ष्य हो सकता था लेकिन वादिया या अन्य कोई गवाह के उपस्थित नहीं होने के कारण यह तनकी भी वादिया के विरूद्व तय की जाती है।

3. आया प्रतिवादी संख्या 6 पर्चा सेटलमेन्ट से पूर्व ही अलग रहने लग गया था इसलिये वादग्रस्त भूमि का पर्चा प्रतिवादी संख्या 6 के नाम आया है वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 6 की स्वअर्जित सम्पत्ति है इसलिए वादीगण खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है। ...प्रतिवादी सं. 6

उक्त तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी संख्या 6 पर है परन्तु प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा भी कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्व तय की जाती है।

उक्त तीनो तनकीयो के विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यो को साबित करने का भार वादी पर था जिसे वादी साबित करने में असफल रहा है। न्यायहित में वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23-1-18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान
कान्ता देवी व अन्य
बनाम
वासुदेव व अन्य

::– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 –12/2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23-1-18 को जारी की गई।

दस्तखत.....उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

मुहर

ओहदा.....

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	NIL		फीस कमीश्नर	NIL	
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी
फागी (जयपुर)